·4·23 परिवादी का प्रार्थना पत्र विचारार्थ प्रस्तुत किया गया परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री [illegible] उपस्थित हुए। विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। विपक्षी को नोटिस तामील होने पर विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री [illegible] उपस्थित हुए।

A-C.D.-II

01.6.23 परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री [illegible] की बहस सुनी गई। अभिलेख का अवलोकन किया गया। विपक्षी की ओर से तर्क दिया गया कि इस वाद में परिवादी को अपने पूर्व नियोक्ता के विरुद्ध लेबर कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत करना चाहिए था। परिवादी की ओर से तर्क दिया गया कि विपक्षी एक औद्योगिक इकाई नहीं है। उनकी अधिक से अधिक श्रेणी की दुकान है। विपक्षी की ओर से इस परिवाद की पोषणीयता पर आपत्ति की गई है। इस परिवाद की पोषणीयता के संबंध में पक्षकारों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने गए। अभिलेख का अवलोकन किया गया। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में इस परिवाद की पोषणीयता के संबंध में निर्णय दिनांक 1.6.23 को सुनाया जाता है।

A-C.D.-II

[illegible]

A-C.D.-II